2श्री

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2014 R-4059-I/14

लोकेन्द्र सिंह जूदेव पिता स्व. श्री नरेन्द्र सिंह जूदेव निवासी– राज मंदि पैलेस, पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.) ———आवेदक

बनाम

1. राघवेन्द्र सिंह जूदेव पिता स्व. श्री मानवेन्द्र सिंह जूदेव निवासी–राज मंदिर पैलेस, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र)

—————अनावेदकगण

विनोद भार्गव, अभि.
8-12-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
8-12-14

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
दिनांक 8-12-14

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला पन्ना द्वारा रा. प्र.क्र. 102/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31/10/2014 विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1 यह कि, अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर नामंतरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया कि, विवादित आराजी कुल का किता 18 कुल रकवा 24.66 हेक्टर महाराजा नरेन्द्र सिंह जूदेव के स्वत्व एवंम् अधिपत्य की है जो राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज है। महाराजा नरेन्द्र सिंह जूदेव ने इस भूमि का वसीयतनामा उनके नाम किया थां। दिनांक 02/04/1998 को महाराजा नरेन्द्र सिंह जूदेव का स्वर्गवास हो गया है अतः वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक क्रमांक–1 का नामंतरण किया जाये।

शाखा प्रभारी (रा.क्र.)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4059–एक / 2014 जिला–पन्ना

लोकेन्द्र सिंह विरूद्ध राघवेन्द्र सिंह व म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला– पन्ना के प्रकरण क्रमांक 102 / अ–6 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 15/03/19	